न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 रूल 02 (ए) जाब्ता दीवानी

प्रकरण संख्या– 02/2023

1. निरंजन पुत्र श्रीराम जाति महाजन साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र तुलछीराम जाति जाट निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सतवीर पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
3. पालाराम पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
4. कुलदीप पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
5. अक्षय पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा
6. सरिता देवी पत्नि पालाराम जाति जाट निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा
7. मानकचन्द पुत्र श्रीराम जाति महाजन निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा

–अप्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ता 6

निर्णय दिनांक– 13.3.24

प्रार्थी निरंजन पुत्र श्रीराम जाति महाजन साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ द्वारा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा न्यायालय हाजा में निगरानी प्रकरण सं. 8/2018 बअनवानी रामसिंह बनाम मा[illegible] जिसका निर्णय दिनांक 10.03.2022 को किया जाकर वाद भूमि की व[illegible] की [illegible]का स्थिति एवं रिकार्ड में परिवर्तन नही करने व यथास्थि[illegible] रखने के आ[illegible]री आंशिक स्वीकार की गई के संबध में प्रार्थना पत्र अन्तर्ग[illegible] जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:10 IST
Reason: SelfAttested

1. दिनांक 14.06.1959 को पट्टा सं. 38 रामसिंह पुत्र उदमीराम के नाम से जारी होना अप्रार्थीगण सं. 1 के द्वारा बताया गया जबकि उस पट्टे की प्रति के अवलोकन अनुसार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। रामसिंह पुत्र उदमीराम ने शपथ पत्र (हल्फिया ब्यान) दिनांक 03.07.18 में कथन किया कि उसके नाम कभी भी कोई पट्टा छानी बड़ी में जारी नही हुआ है। मिसल सं. 268 पटटा सं. 44 दिनांक 14.06.1959 रामसिंह को जारी ना होकर अन्य व्यक्ति को जारी है। दिनांक 09.05.2018 को बाद जांच कर स्थगन खारिज किया गया। पंचायत प्रसार अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 05.05.2018 ग्राम विकास अधिकारी छानीबड़ी की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2018 के आधार पर स्थगन खारिज कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी। पुलिस द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व चालान प्रस्तुत हो चुका है।

2. प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी के पिता श्रीराम पुत्र विश्वानाथ के नाम से पट्टा संख्या 468 व 469 दिनांक 05.07.1959 को मिसल सं. 268 दायर दिनांक 23.06.1959 को जारी, जिसका साईज 120 गुणा 36, 15 वर्गफुट का प्लॉट है। जिससे अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नही हैं। अप्रार्थी सं. 1 ने पूर्व में रामसिंह पुत्र उदमीराम जाति जाट का प्लॉट सं. 445 व 446 का पट्टा पेश किया जबकि स्वंय रायसिंह पुत्र उदमीराम जाति ने हल्फिया बयान किये है कि मुझ मिकर का गांव छानी बड़ी में कोई भूखण्ड स्थित नही है तथा ग्राम पंचायत छानी बड़ी द्वारा व क्रय विलेख मिसल सं. 268 पट्टा सं. 445 व 446 दिनांक 14.06.1959 को मेरे पक्ष में जारी किया हुआ नही है। उक्त पट्टा अप्रार्थी सं. 1 का फर्जी है। इसके अतिरिक्त रामसिंह पुत्र तुलसीराम दर्ज है। पट्टा में उदमीराम वल्दियत दर्ज है। अप्रार्थी सं. 1 का पट्टा फर्जी साजिशाना कुटरचित है। जिसका ग्राम पंचायत छानी बडी में कोई रिकार्ड नही है ना ही पट्टा बही केस बुक में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा अपने पिता के नाम से जारी दिनांक 05.07.1959 को जारी पट्टा में दुकाने निर्मित कर रखी है। छत का लेन्टर भी लगाया हुआ है तथा रंग–रौगन किया हुआ है। विधुत कनैक्शन प्रार्थी के नाम से है। इसलिए मातहत अदालत ने स्थगन आदेश दिनांक 24.04.2018 को दिनांक 09.05.18 को सही निरस्त किया है।

3. उक्त भूखण्ड जो प्रार्थी व अप्रार्थी का पूर्व स्वामित्व का है। पट्टे शुदा है, पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 द्वारा वाद भूमि पर कब्जा करने के नियत से दिनाक 16.06.2023 को रात्री 10 बजे के करीब ट्रेक्टर से ईन्टे डालनी शुरू कर दी तथा दो हरे पेड भी काट लिये जबकि उक्त भूमि में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी की दुकाने निर्मित है। उस पर कब्जा करने की नियत से अप्रार्थीगण ने जबरिया ईन्टे डाल दी। तब इतने में मौके पर अमन पुत्र माणचन्द व निर्मल कुमार पुत्र पूनमचन्द महाजन साकिन छानीबड़ी आये उन्होने ललकारा तो अप्रार्थीगण ने कहा कि स्थगन की हमें परवा नही है। उपरोक्त कृत्य से अप्रार्थीगण ने न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 10.03.2022 की अवहेलना दोषी है तथा अप्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा निर्णय की अवमानना की है तथा न्यायालय हाजा के हुक्म को ना मानने के दोषी है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Sutharkar
Date: 2024.06.03 16:58:10 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

नियमानुसार दण्ड के भागी है। लिहाजा यह अवमानना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 02 (ए) जाब्ता दीवानी अधिनियम पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अदालत के आदेश की अवहेलना करने जुर्म में कैद दीवानी भेजा जावे तथा अप्रार्थीगण की सम्पति कुर्क की जावे तथा प्रार्थी को उसके भूखण्ड का कब्जा इन्टें आदि पुलिस की मदद से हटाया जावे।

पत्रावली प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री विजयसिंह कड़वासरा एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–7 स्वंय उपस्थित है। प्रार्थना–पत्र आदेश 39 रूल 2(ए) में निवेदन किया गया कि "निगरानी प्रकरण संख्या 08/2018 बअनवानी रामसिंह बनाम माणकचन्द आदि में निर्णय दिनांक 10.03.2022 को पारित निर्णय में आदेश दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अपील का निर्णय होनें तक विवादित स्थल की यथास्थिति बनाये रखी जावे"। उक्त आदेश की अप्रार्थीगण द्वारा अवमानना की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा में विचाराधीन अपील के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा के पत्र क्रमांक पंसभा/पं.शा./2024/8540 दिनांक 04.03.2024 के प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा में रामसिंह बनाम मानकचंद के नाम से कोई अपील विचाराधीन नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा की रिपोर्ट का अध्ययन करनें पर पाया कि उनके कार्यालय में कोई अपील विचाराधीन नहीं है। यदि अधीनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा में कोई अपील विचाराधीन नहीं है तो न्यायालय हाजा द्वारा निगरानी संख्या 08/2018 बअनवानी रामसिंह बनाम मानकचंद में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2022 की अवमानना प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 रूल 2(ए) न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करनें का कोई औचित्य नहीं है।

अतः अवमानना प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 39 रूल 2(ए) खारिज योग्य होनें से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 13.3.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:10 IST
Reason: SelfAttested

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर